

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

07/06/2022 18:55 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

15/05/2022

Date To (दिनांक तक):

07/06/2022

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00

hrs

Time To (समय तक):

00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक):

07/06/2022

Time (समय): 18:34

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

007

Date and Time

(दिनांक और समय):

07/06/2022 18:34

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 85 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): PS Civil Line Kaithal,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Ram Pal

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Gali No 12, Ward No 02, Janakpuri Coloney, Kaithal, Kaithal, CIVIL LINE KAITHAL, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Gali No 12, Ward No 02, Janakpuri Coloney, Kaithal, Kaithal, CIVIL LINE KAITHAL, KAITHAL, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 0-9996430787

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	HC Mahindro Devi			1. Civil Line Kaithal, Kaithal, CIVIL LINE KAITHAL, KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

पुलिस इन्स्पेक्टर

विजिलेंस कैथल

मान्यवर,

निवेदन है कि मैं रामपाल पुत्र श्री सीता राम वासी वार्ड न. 12 गली न. 2 जनकपुरी कलोनी कैथल का हूँ और मैं

मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ दिनांक 14-5-2022 को किसी बात को लेकर मेरी घरवाली आशा व मेरे बेटे अनुराग का मेरी बड़ी भाभी निर्मला व उसकी लड़किया साक्षी व सिमरन के साथ झगड़ा व मारपीट हो गई थी, जिसमें मेरी भाभी निर्मला को मामूली चोटें आई थी जिस पर HC महिन्द्रो देवी ने थाना सिविल लाईन में उन की दरखास्त पर मुकदमा न. 192 दिनांक 15-5-2022 धारा 323,34,506 I.P.C. दर्ज किया था इसी मुकदमा में मेरी भाभी निर्मला ने मेरी पत्नी आशा व लड़के अनुराग के अलावा मेरे पड़े लड़के विशाल का नाम झुठा लिखवा दिया था जबकि विशाल झगड़े के समय कोचिंग सेंटर में था अब उपरोक्त मुकदमा से मेरे लड़के विशाल को निकालने के लिये HC महिन्द्रो थाना सिविल लाईन कैथल दस हजार रूपए की रिश्त लेने की मांग कर रही थी लेकिन अब हमारी आठ हजार रूपए में बात तय हो गई है। जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपने फोन में कर ली थी। HC महिन्द्रो को मैं 8000 रूपए रिश्त के नही देना चाहता । यदि मैं यह रूपए नही देता हू तो HC महिन्द्रो मेरे लड़के विशाल को झुठा फंसा देगी । रिश्त की राशि 8000 रूपए व की गई आवाज की रिकॉर्डिंग की पैन ड्राईव बनाकर आपको पेश कर दी है। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

मो.न. 9996430787

हस्ताक्षर अंग्रेजी रामपाल

प्रार्थी

रामपाल पुत्र श्री सीता राम वार्ड न. 12 गली न. 2 जनकपुरी कलोनी

कैथल

कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय स्टाफ के हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल हू कि रामपाल पुत्र सीता राम, निवासी वार्ड न0 12, गली न. 2, जनकपुरी कालोनी, कैथल ने हाजिर आकर एक स्वयं लिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की जिस पर मन निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने उपरान्त प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार व शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताश की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये मुबलिक 8000/-रु0 के करन्सी नोट जिनमे 16 अदद करन्सी नोट 500/500 रूपए के कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूची नोट तैयार की गई । फर्द सूची नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता रामपाल ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता रामपाल द्वारा एक पैन ड्राईव व 65-बी सर्टिफिकेट जिसमे आरोपिया मु0सि0 महिन्द्रो देवी न0 567/KTL व शिकायतकर्ता की रिश्त की राशी बारे आपसी बातचीत रिकार्ड है। जिसको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया। फर्द पर शिकायतकर्ता व गवाह ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त उपरोक्त से मु.सि. महिन्द्रो देवी बैल्ट न. 567/KTL द्वारा मु.न. 192 दिनांक 15.05.2022 धाराधिन 323, 34 व 506 भा.द.स. थाना सिविल लाईन कैथल के सम्बंध में शिकायतकर्ता रामपाल के बेटे विशाल का नाम निकालने की एवज में रिश्त राशि मांगने पर उसके विरुद्ध अपराध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाया गया है। दरखास्त पर तहरीर हजा लिखकर बादस्त मु.सि. अजय कुमार न. 3/30 के बराये करवाने कायमी मुकदमा दर्ज प्रबंधक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला की सेवा में भेजा जा रहा है। कृप्या तहरीर पर अभियोग अंकित करके नम्बर अभियोग से सूचित किया जाए व स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाये। मन निरीक्षक मय महिला निरीक्षक बिमला देवी व स.उ.नि. सुनील कुमार न. 2/87, ई.एच.सी. धर्म युधिष्ठिर न. 1348/AMB व सि. कृष्ण न. 226/KKR के रेडिंग पार्टी तैयार की गई व सभी को हिदायत मुनासिब जारी की गई। मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी व शिकायतकर्ता रामपाल को साथ लेकर बराये लेने इजाजत रेड व करवाने नियुक्ति ड्युटी मैजिस्ट्रेट व छायागवाह बासवारी गाड़ी सरकारी न. HR-03R-4444 जिसका चालक मुख्य सिपाही कैलाश न. 994/KTL व प्राईवेट मोटरसाईकिल के रवाना उपायुक्त कार्यालय कैथल व आगामी कार्यवाही हेतू रवाना आईन्दा का होता हूँ।

अज:- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र कैथल।

हस्ताक्षर अंग्रेजी निरीक्षक सुरेश कुमार

राज्य चौकसी ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल

दिनांक 07.06.2022

समय: 3:10 PM

अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर अभियोगांक 08 दिनांक 07.06.2022 धारा 7 पी.सी एक्ट-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला अंकित किया जाकर अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बादस्त मुख्य सिपाही अजय कुमार न0 3/30 के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट

साहब कैथल व निजद अनुसंधानकर्ता घटना स्थल का किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में डाक के माध्यम से भिजावाई जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Suresh Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 50 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): ajay

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

